Deposit of Funds Released under M.P.L.A.D.S. in Banks

2107. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICKHAR: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the money of Rs. one crore which was reached the District Collector can be kept in a Scheduled Bank in Savings Account or in short term (45 days) Fixed Accounts so that they can bear interest until the time the money is actually disbursed for the development work under the M.Ps. Local Area Development Schemes;

(b) if so, whether the money will be kept in the Bank in consultation with the concerned Member of Parliament;

(c) if so, whether immediate instructions to this effect will be issued to the District Collectors; and

(d) if not, what are the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) As per the procedure for release of funds under MP's Local Area Development Scheme (MPLADS), the funds under the scheme were released to the District Rural Development Agencies (DRDA) and in places where there is no DRDA, like certain metropolitan cities, the funds were released through the local bodies (like municipality). The DRDA or the local body as the case may be would open a separate account which would be operated by or under the approval of the designated Collector of the District incharge of execution of the works.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Does not arise.

राज्यों की विकासात्मक योजनाएं

2108. **श्री अजीत जोगी:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने योजना आयोग के समक्ष कुछ विकास योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): (क) से (ग) राज्य सरकारें, अपने वार्षिक योजना प्रस्तावों के माध्यम से विभिन्न विकास स्कीमें/कार्यक्रम भेजती हैं, जिन पर योजना आयोग में कार्यदल की बैठकों में विचार तथा चर्चा की जाती है। उसके बाद निर्धारित स्कीमों/कार्यक्रमों सहित विकास के प्रत्येक क्षेत्रक/उपक्षेत्रक के लिए सहमत परिव्यय तय किए जाते हैं। राज्यों के वार्षिक योजना प्रस्तावों, 1994-95 के ब्यौरे, संबंधित राज्यों के वार्षिक योजना दस्तावेजों में दिए गए हैं, जो पहले ही संसद के पुस्तकालय को उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशें

2109. **श्री अजीत जोगी:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद के पैनल ने समष्टि स्तर की योजना हेतु हाल ही में कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): (क) से (घ) माइक्रो स्तरीय आयोजना और प्रारंभिक स्तर पर लोगों की भागीदारी पर राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) की उपसमिति ने अप्रैल, 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट की सिफारिशें राष्ट्रीय विकास